



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 मार्च, 2020
चैत्र 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 403/ग्यारह-2-9(18)-2012-उ०प्र०अधि०-5-2008-आदेश(98)-2020

लखनऊ, 27 मार्च, 2020

अधिसूचना

प०आ०-102

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में राज्य में विद्यमान असामान्य परिस्थितियों के कारण कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के वादों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन इसके लिये प्राविधानित समय सीमा के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करना कठिन होगा;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के वादों, जिनके कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही है, के सम्बन्ध में कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ाते हैं।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 403/XI-2-9(18)-2012-U.P.Act-5-2008-Order(98)-2020, dated March 27, 2020 for general information :

No. 403/XI-2-9(18)-2012-U.P.Act-5-2008-Order(98)-2020

Dated Lucknow, March 27, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that due to extraordinary circumstances prevalent in assessment year 2019-20 in the state it will be difficult to complete assessment or re-assessment in respect of cases of the assessment year 2016-17 within the time limit provided therefore under the Uttar Pradesh value added tax act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers sub-section (11) of section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to extend the time limit upto 30th June, 2020 for completing assessment or re-assessment in respect of cases of the assessment year 2016-17 for which limitation for passing assessment or re-assessment order expires on 31st March, 2020.

By order,
- ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.